तटस्थ उद्धरण 2004:सीजीएचसी:1698

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 236/2002 छत्तीसगढ

याचिकाकर्ता: गुरूमुख सिंह होरा

– बनाम –

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं तीन अन्य

आदेश विचारार्थ प्रस्तुत

सही/–

(मुख्य न्यायधीश)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–

(मुख्य न्यायधीश)

8 मार्च, 2004 को आदेश हेतु सूचीसबद्ध करें।

सही/–

(मुख्य न्यायधीश)

तटस्थ उद्धरण 2004:सीजीएचसी:1698

उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़
रिट याचिका क्रमांक.236/2002

याचिकाकर्ता: गुरुमुख सिंह होरा,
आत्मज स्वर्गीय श्री अमरीक सिंह होरा,
उम्र लगभग 53 वर्ष,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य कंपनी
ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन
लिमिटेड, निवासी कवर्धा,
जिला: कवर्धा (छ.ग.)

– बनाम –

उत्तरवादीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
2. श्री बी. के. एस. रे, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, रायपुर (छ.ग.)
3. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, कार्यालय 880: सिवी लाइन्स, रायपुर (छ.ग.)
4. रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियां, रायपुर
(छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:–
श्री आलोक अराधे, अधिवक्ता सहित श्री पी. दिवाकर
और श्री भास्कर पयाशी, अधिवक्ताः याचिकाकर्ता के लिए

डॉ. एन.के. शुक्ला, अतिरिक्त महाधिवक्ता: राज्य/उत्तरवादीगण के लिए
श्री प्रशांत मिश्रा, अधिवक्ता: हस्तक्षेपकर्ता की ओर से

खण्ड न्यायपीठ: माननीय श्री के.एच.एन. कुरंगा मुख्य न्यायाधिपति

और माननीय श्री एल.सी. भादू, न्यायामूर्ति

आदेश

(8 मार्च, 2004 को परित)

न्यायालय का यह आदेश न्यायमूर्ति ***एल.सी.भादू*** द्वारा दिया गया।

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता गुरुमुख सिंह होरा ने प्रतिवादी क्रमांक 2, रजिस्ट्रार, (ई–ऑपरेटिव सोसायटीज, रायपुर) द्वारा पारित दिनांक

10 जनवरी, 2002 के आदेश की वैधविकता और वैधता को चुनौती दी है, जिसके अधीन उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित ('अर्थात विपणन संघ') में परिवर्तन मान लिया है।

2. याचिकाकर्ता की याचिका यह है कि उसे पहले विकास सब्जी फल–फूल उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित, कवर्धा के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। याचिकाकर्ता को उपर्युक्त समिति के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया और उसके बाद उसे राजनांदगांव जिले से प्रतिनिधि के रूप में चुना गया और वह 4.1.1997 को पांच साल की अवधि के लिए यानी 3.1.2002 तक मध्य प्रदेश विपणन संघ का अध्यक्ष बना।

3. दिनांक 18.10.2000, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां (पुनर्गठन और निर्माण) अध्यादेश, 2000, नामक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था, जिसका उद्देश्य मध्यप्रदेश राज्य में विद्यमान राज्य सहकारी समितियों को उनके कार्य क्षेत्र, राज्य के भूभाग को छोड़कर पुनर्गठित करना था। तथा नए छत्तीसगढ़ राज्य के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ नामक एक नवीन निकाय का गठन करना था, जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आना था। उपर्युक्त अध्यादेश के प्रख्यापन के आलोक में नवीन निकाय दिनांक 30.10.2000 को अस्तित्व में आया। अनुलग्नक पी–2 पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति है। उपर्युक्त अध्यादेश की धारा 3(2) के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के सात निदेशक निदेशक के रूप में बने रहेंगे। याचिकाकर्ता ने 30 अक्टूबर 2000 को अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। म.प्र. सहकारी समिति अधिनियम, 1960 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 49 की उपधारा (7–ए) में प्रावधान है कि किसी समिति का कार्यकाल समिति की प्रथम बैठक आयोजित होने की तिथि से पांच वर्ष का होगा। इस प्रकार अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (7–ए) के दृष्टिकोण में समिति और समिति का कार्यकाल 3.1.2002 को समाप्त होना निर्धारित था। अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (7–एए) में प्रावधान है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उसमें बताए गए कारणों से किसी समिति या समितियों के वर्ग की समिति का कार्यकाल समय–समय पर कुल 12 माह से अधिक अवधि के लिए बढ़ा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिका में आगे उल्लेख किया गया है कि अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (7–एए) के अधीनशक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य ने दिनांक 28 अक्टूबर, 2000, को एक अधिसूचना जारी की, (अनुलग्नक पी–3) जिसमें मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000, के अधिनियमन और निकट भविष्य में छत्तीसगढ़ के नए राज्य के गठन के दृष्टिकोण में गैर–कृषि और गैर–ऋण शीर्ष समितियों की समितियों के कार्यकाल को संबंधित समितियों के कार्यकाल की तारीख से 12 महीने की अवधि के लिए बढ़ाया गया है। प्रतिवादी संख्या 3 एक गैर–ऋण शीर्ष और गैर–कृषि समिति है और इसलिए, समिति के पदाधिकारी 3.1.2003 तक बने रहने के हकदार हैं क्योंकि समिति का कार्यकाल 12 महीने बढ़ा दिया गया था।

5. 'अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (8) के प्रावधानों की गलत व्याख्या करते हुए रजिस्ट्रार ने दिनांक 10.1.2002 को आदेश पारित किया है, जिसके द्वारा उन्होंने प्रतिवादी संख्या 3 सोसायटी का प्रभार इस धारणा पर ग्रहण किया है कि सोसायटी अधिनियम की धारा 49 की उपधारा 8 के अधीनप्रावधानित चुनाव कराने में विफल रही है। यह तर्क दिया गया है कि अधिनियम की धारा 49 की उपधारा 8 (ii) में प्रावधान है कि यदि सोसायटी की समिति चुनाव कराने में विफल रहती है और उपधारा (7–ए) के अधीनकार्यकाल या उपधारा (7–एए) के अधीन विस्तारित कार्यकाल की समाप्ति पर रजिस्ट्रार या उनकी ओर से उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी को प्रभार नहीं सौंपती है, तो समिति के सभी सदस्यों को अपनी सीटें खाली कर दी गई मानी जाएंगी और रजिस्ट्रार प्रभार संभाल लेंगे और यथाशीघ्र चुनाव कराएंगे। अधिनियम की धारा 49 की उपधारा 8 (i) में यह प्रावधान है कि सोसायटी की समिति के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह उपधारा (7–ए) के अधीनकार्यकाल की समाप्ति से पहले या उपधारा (7–एए) के अधीन विस्तारित कार्यकाल से पहले चुनाव कराए और उचित समय के भीतर चुनाव कराने के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन करे, जो किसी भी स्थिति में समिति के कार्यकाल की समाप्ति से 90 दिन पूर्व नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6 दिनांक 28.10.2000 की अधिसूचना के दृष्टिकोण में याचिकाकर्ता के साथ–साथ सोसायटी की समिति के अन्य सदस्य 03.01.2003, तक अपने पद पर बने रहने के हकदार हैं, और इसलिए, याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है कि उत्प्रेषण (writ of certiorari) की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए और रजिस्ट्रार द्वारा पारित दिनांक 10.01.2002 के आदेश को निरस्त किया जाए और रजिस्ट्रार को निर्देश दिया जाए कि वे सोसायटी की समिति को 03.01.2003 तक अपने संबंधित कार्यालयों में बने रहने की अनुमति दें।

7. प्रतिवादी 1 और 2 की ओर से जवाब दाखिल किया गया है, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि मध्य प्रदेश राज्य को याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया है, इसलिए याचिका निरस्त किए जाने योग्य है। मध्य प्रदेश राज्य एक आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 2 का आदेश अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 28.10.2000 का आदेश गैर–कृषि और गैर–ऋण शीर्ष समितियों के कार्यकाल के विस्तार से संबंधित है। प्रतिवादी संख्या 3 की प्रकृति और श्रेणी का निर्णय मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल द्वारा संशोधन संख्या 18/2002 में पहले ही किया जा चुका है। याचिकाकर्ता की पत्नी श्रीमती रंजीत कौर ने पहले ही राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल में इसी राहत के लिए याचिका दायर की है, जिसकी प्रति अनुलग्नक आर–3 के रूप में दाखिल की गई है, और विषय वस्तु पहले से ही न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है। याचिका पोषणीय नहीं है। याचिकाकर्ता विकास सब्जी, फल–फूल उत्पादक एवं

विपणन सहकारी समिति मर्यादित, कवर्धा की सदस्यता के लिए पात्र नहीं था, जिस तिथि को उसे सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, उसने उपविधि में निर्धारित सदस्य बनने के लिए अपेक्षित योग्यताएं पूरी नहीं की थीं। रजिस्ट्रार की कार्रवाई उसकी क्षमता के भीतर और कानून के अनुसार थी। अधिनियम की धारा 49 की उप–धारा (8) स्वयं रजिस्ट्रार को सोसायटी का प्रभार संभालने में सक्षम बनाती है। प्रतिवादी क्रमांक 3 मार्केटिंग फेडरेशन पर अधिनियम की धारा 49 की उप–धारा (8) का लागू होना एक अन्य याचिका का विषय है, जिसका रिट याचिका क्रमांक 2230/2001 है। दिनांक 28.10.2000 की अधिसूचना प्रतिवादी क्रमांक 3 पर लागू नहीं होती है। इसलिए याचिका निरस्त की जाये।

8. उत्तरदाता क्रमांक 3 और उत्तरवादी क्रमांक 4 की ओर से भी इसी प्रकार का रिटर्न दाखिल किया गया है। उत्तरवादी क्रमांक 4 ने उल्लेख किया है कि विकास सब्जी फल फूल उत्पादन एवं विपणन सहकारी समिति, कवर्धा के ठीक से काम न करने की शिकायत प्राप्त होने पर जांच की गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 28.2.2002 के आदेश (अनुलग्नक आर–2/11) के अधीनउपर्युक्त समिति, कवर्धा का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 45 के आधार पर, यदि कोई सोसायटी अस्तित्व में नहीं रहती है, तो उसका प्रतिनिधि या प्रतिनिधि केन्द्रीय या शीर्ष सोसायटी में सोसायटी का प्रतिनिधित्व करना भी बंद कर देता है। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त सोसायटी के पंजीयन निरस्त होने के बाद याचिकाकर्ता अब उस सोसायटी का प्रतिनिधि नहीं रह गया है। अधिनियम की धारा 49 की उपधारा 8 (i) के प्रावधानों के दृष्टिकोण में, निवर्तमान समिति के लिए समिति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराना अनिवार्य था, जो उचित समय के भीतर यानी समिति का कार्यकाल समाप्त होने से 90 दिन पहले होना चाहिए। समिति द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इस बात से इनकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता या उसकी पत्नी ने कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराने का अनुरोध किया था। इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि याचिका को निरस्त कर दिया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. हमने याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री आलोक अराधे, श्री पी. दिवाकर और श्री भास्कर पयाशी, राज्य/उत्तरदातओं ; की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉ. एन. के. शुक्ला और हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अधिवक्ता, श्री प्रशांत मिश्रा, को सुना है।

10. संबंधित वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों की विवेचना करने के लिए, नीचे दिए गए प्रासंगिक प्रावधानों पर एक नज़र डालना आवश्यक है:–

"धारा 49 उपधारा (7–ए) (i) समिति की महिला की अवधि समिति की पहली बैठक आयोजित होने की तारीख से पांच वर्ष होगी:

बशर्ते कि जहां अधिनियम के अधीन अधिक्रमित, निलंबित या हटाई गई समिति किसी न्यायालय या प्राधिकरण के किसी आदेश के परिणामस्वरूप पुनः बहाल की जाती है, वहां वह अवधि जिसके दौरान समिति अधिक्रमित, निलंबित या पद से बाहर रही, जैसा भी मामला हो, पूर्वोक्त अवधि की गणना में शामिल नहीं की जाएगी।

(ii) यह सोसायटी की समिति द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि का कार्यकाल उस सोसायटी की समिति के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा जिसके लिए प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है:

बशर्ते कि समिति का प्रतिनिधि उस समिति के कार्यकाल की समाप्ति तक अपना पद धारण करता रहेगा जिसका वह सदस्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7-एए) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, उसमें उल्लिखित कारणों से, किसी सोसायटी या सोसायटी के किसी वर्ग की समिति का कार्यकाल समय-समय पर, कुल बारह महीने से अधिक की अवधि के लिए बढ़ा सकेगी।

(7-एएए) उपधारा (7-एए) में विनिर्दिष्ट अठारह मास की अधिकतम अवधि समाप्त हो जाने पर भी, समितियों के संबंध में 7 मई, 1988 (जिसे इसके पश्चात उक्त तिथि कहा जाएगा) से प्रारंभ होने वाली और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी (संशोधन) अध्यादेश, 1988 के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि को समाप्त होने वाली अवधि के बीच की अवधि ऐसी समितियों के संबंध में उक्त तिथि से छह मास की अवधि के लिए बढ़ाई गई मानी जाएगी मानो उक्त तिथि को उपधारा (7–एए) के अधीन अवधि बढ़ाने की अधिसूचना जारी की गई हो।

(8) (i) सोसायटी की निवर्तमान समिति के लिए उपधारा (7–ए) के अधीनकार्यकाल की समाप्ति से पहले या उपधारा (7–एए) के अधीन विस्तारित कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव कराना अनिवार्य होगा। निवर्तमान समिति रजिस्ट्रार को उचित समय के भीतर चुनाव कराने के लिए

आवेदन करेगी जो किसी भी मामले में समिति के कार्यकाल की समाप्ति से पहले नब्बे दिनों से कम नहीं होगा:

बशर्ते कि यदि निवर्तमान समिति ने रजिस्ट्रार से कम से कम नब्बे दिन पहले चुनाव कराने का संकल्प लिया हो और अनुरोध किया हो और रजिस्ट्रार उसके अनुरोध पर चुनाव कराने में विफल रहा हो, तो रजिस्ट्रार समिति का कार्यभार नहीं संभालेगा और समिति के सदस्य निम्नलिखित पदों पर बने रहेंगे:

आगे यह भी प्रावधान है कि यदि रजिस्ट्रार समिति के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि से 90 दिनों के भीतर समिति के चुनाव कराने में विफल रहता है, तो सोसायटी की समिति एक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगी, जो कार्यकाल की समाप्ति की तिथि से 180 दिनों के भीतर समिति के चुनाव कराएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ii) यदि समिति चुनाव कराने में असफल रहती है और उपधारा (7–ए) के अधीन कार्यकाल की समाप्ति पर या उपधारा (7–एए) के अधीन विस्तारित कार्यकाल की समाप्ति पर रजिस्ट्रार या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को कार्यभार नहीं सौंपती है, तो समिति के सभी सदस्यों को अपना स्थान खाली कर दिया गया माना जाएगा और रजिस्ट्रार कार्यभार संभालेंगे तथा यथाशीघ्र चुनाव कराएंगे।

अधिनियम की धारा 10 में सोसायटियों के वर्गीकरण का प्रावधान है।

धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसार रजिस्ट्रार ने अपने आदेश दिनांक 13.5.1976 द्वारा विभिन्न समितियों को वर्गीकृत किया है। धारा 9 की उपधारा (11) के अनुसार रजिस्ट्रार ने 'म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ' को 'प्रसंस्करण समिति' के रूप में वर्गीकृत किया है।

(2) रजिस्ट्रार लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से किसी भी सोसायटी के वर्गीकरण को एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में बदल सकता है।

(3) सोसायटी के वर्गीकरण के संबंध में रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम होगा।

मध्य प्रदेश सहकारी समिति (पुनर्गठन एवं निर्माण) अध्यादेश, 2000 (असाधारण राजपत्र में दिनांक 18 अक्टूबर, 2000 को प्रकाशित) की धारा–3 की उपधारा (2) में निम्नलिखित प्रावधान है– "मध्य प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, 1961) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी, विद्यमान समितियों का पंजीयन निरस्त नहीं किया जाएगा तथा वर्तमान समितियों के पदाधिकारी, संचालक तथा प्रतिनिधि, पुनर्गठित अथवा तत्स्थानी नई समितियों में, जैसा भी मामला हो, उस क्षेत्र के आधार पर, जिसमें समिति स्थित है, अपने–अपने पदों पर बने रहेंगे। ऐसे कार्यालय धारक, निदेशक या प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, जो मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, 1961) के प्रावधानों के अधीन अपने कार्यकाल की समाप्ति तक स्थित है।

बशर्ते कि मध्य प्रदेश रैय्य सहकारी संघ के मामले में, विद्यमान सोसायटी के पदाधिकारी अपने कार्यकाल की समाप्ति तक मध्य प्रदेश के लिए पुनर्गठित सोसायटी में अपने–अपने पद पर बने रहेंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिसूचना संख्या F.5–6–2000 XV–1 दिनांक 28 अक्टूबर, 2000 जिसके माध्यम से गैर–कृषि, गैर–ऋण शीर्ष सोसायटी की अवधि बढ़ाई गई थी, निम्नानुसार है: –

"मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अधिनियमित होने तथा निकट भविष्य में छत्तीसगढ़ के नए राज्य के गठन के फलस्वरूप राज्य सरकार का यह विचार है कि समस्त गैर–कृषि, गैर–ऋण, शीर्ष समितियों की समितियों का कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए"

अत, अब मध्य प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 49 की उपधारा (7-एए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उक्त समितियों की समितियों का कार्यकाल उनकी संबंधित समितियों के दस वर्ष की अवधि की समाप्ति की तिथि से 12 माह की अवधि के लिए बढ़ाती है."

11. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि नवीन छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी (पुनर्गठन एवं निर्माण) अध्यादेश 2000 की धारा 3 की उपधारा (2) के प्रावधानों के आलोक में विपणन संघ अस्तित्व में आया तथा मूल कार्यकाल के अनुसार विपणन संघ को 3 जनवरी, 2002, तक कार्य करना था। तत्पश्चात, अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (7–*एए*) के प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य द्वारा दिनांक 28, अक्टूबर 2000, को जारी अधिसूचना के आलोक में समस्त गैर–सरकारी एवं गैर–ऋण समितियों का कार्यकाल 12 माह की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। अतः विपणन संघ के संचालक मंडल को 3 जनवरी 2003 तक कार्य करने का अधिकार था।

12. दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि 18 अक्टूबर, 2000 का अध्यादेश तत्कालीन म.प्र राज्य द्वारा जारी किया गया था और म.प्र राज्य ने बाद में उक्त अध्यादेश के अनुसार कानून बनाया। लेकिन 01.11.2000 को अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ राज्य ने 18.10.2000 के अध्यादेश के आधार पर कानून नहीं बनाया। इसलिए, 18.10.2000 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित वह अध्यादेश छह महीने की अवधि समाप्त होने पर समाप्त हो गया है। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जारी उस अध्यादेश के आधार पर बने रहने का हकदार नहीं था क्योंकि उसे छह महीने की अवधि के भीतर छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा कानून के रूप में अधिनियमित नहीं किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि अधिसूचना भी अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (7–*एए*) के अंतर्गत तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जारी दिनांक 28.10.2000 के अधिसूचना को छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा नहीं अपनाया गया था। इसलिए इस आधार पर भी विपणन संघ का बोर्ड 3 जनवरी, 2003 तक जारी रहने का हकदार नहीं था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि विपणन संघ एक कृषि और ऋण शीर्ष सोसायटी है। इसलिए याचिकाकर्ता दिनांक 28.10.2000 के अधिसूचना से लाभ प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि यह केवल गैर–कृषि और गैर–ऋण सोसायटियों के मामले में लागू था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (संक्षेप में 'अधिनियम 2000') की धारा 2 की उपधारा (एफ) के दृष्टिकोण में 'कानून' में ऐसा कोई अधिनियम, अध्यादेश, विनियमन आदेश, उपविधि नियम, योजना, अधिसूचना या अन्य उपकरण शामिल है, जो नियत दिन से ठीक पहले सम्पूर्ण मध्य प्रदेश या उसके किसी भाग में कानून का बल रखता हो।

14. यह सत्य है कि अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (एफ) के अनुसार समस्त कानून, जिसमें कोई अधिनियम, अध्यादेश, विनियमन, आदेश, उपविधि, नियम, योजना, अधिसूचना या अन्य साधन सम्मिलित हैं, जो नियत तिथि के पूर्व सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य में विधि का बल रखते

थे, अधिनियम, 2000 की धारा 79 के उपबंधों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में भी जारी रखे जाने थे।

15. अधिनियम, 2000 की धारा 79 के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य को नियत तिथि से दो वर्ष की समाप्ति से पूर्व आदेश द्वारा इसे अनुकूलित करना था। कानून में ऐसे अनुकूलन और संशोधन करना था, चाहे वह निरसन या संशोधन के माध्यम से हो, जैसा कि आवश्यक या समीचीन हो, और उसके बाद प्रत्येक ऐसा कानून ऐसे अनुकूलन और संशोधनों के अधीन प्रभावी होगा, जब तक कि किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे परिवर्तित, निरस्त या संशोधित नहीं किया जाता। 18.10.2000 का अध्यादेश मध्य प्रदेश राज्य द्वारा कानून के रूप में अधिनियमित किया गया था। 20 नवम्बर, 2000 को मध्यप्रदेश राज्य द्वारा 18.10.2000 को प्रख्यापित अध्यादेश को बाद में 20.11.2000 को कानून के रूप में अधिनियमित किया गया, अतः यह अधिनियम, 2000 की धारा 2 (एफ) और 79 के प्रावधानों के दृष्टिकोण में दो वर्षों अर्थात 31.10.2002 तक लागू रहा, इस प्रकार याचिकाकर्ता और बोर्ड अपने कार्यकाल की समाप्ति अर्थात 03.01.2002 तक बने रहने के हकदार थे। छत्तीसगढ़ राज्य ने अधिनियम की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना क्रमांक एफ–7–3/सीओओपी/15/2436 द्वारा 13 जून, 2001 को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 को अपनाया था। 2000. इस अनुकूलन अधिसूचना के खण्ड 3 में यह प्रावधान है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों द्वारा या उनके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में की गई कोई भी कार्रवाई (जिसके अंतर्गत कोई नियुक्ति, अधिसूचना, नोटिस, आदेश, नियम, प्ररूप, विनियम, प्रमाण–पत्र या अनुज्ञप्ति भी है) छत्तीसगढ़ राज्य में लागू रहेगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. अब प्रश्न यह उठता है कि क्या अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (7–एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 28.10.2000 के आलोक में छत्तीसगढ़ राज्य के विपणन संघ का कार्यकाल एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया गया था, उक्त अधिसूचना में यह परिकल्पना की गई है कि गैर–कृषि एवं गैर–ऋण समितियों का कार्यकाल एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया गया था। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या छत्तीसगढ़ राज्य का विपणन संघ एक गैर–कृषि एवं गैर–ऋण समिति है।

17. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने विभिन्न समितियों को वर्गीकृत किया है तथा उपशीर्ष संख्या 9 के अनुसार राज्य सहकारी विपणन संघ को मद संख्या (11) में प्रसंस्करण समिति की श्रेणी में रखा गया है। अतः विपणन संघ प्रसंस्करण समिति होने के कारण कृषि या ऋण समिति नहीं है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क प्रथम दृष्टया आकर्षक एवं प्रभावशाली

प्रतीत होता है, किन्तु जब हम इसकी जांच करते हैं तो यह तर्क गलत सिद्ध होता है। यदि हम अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत रजिस्ट्रार द्वारा किए गए वर्गीकरण पर गौर करें तो उन्होंने समितियों को कृषि या ऋण समितियों अथवा गैर–कृषि या गैर–ऋण समितियों की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया है। इसलिए, इस सवाल का फैसला करने के लिए कि क्या विपणन संघ एक गैर–कृषि और गैर–ऋण सोसायटी है, हमें सोसायटी के उपनियमों पर गौर करना होगा। उपनियम संख्या 3 विपणन संघ के उद्देश्यों को निर्धारित करता है, अर्थात सहकारी विपणन संघ की गतिविधियों को विकसित करना और सहायता करना, सहकारी फल और सब्जी उत्पादन, उनका विपणन, सहकारी कोल्ड स्टोरेज, समितियों की निगरानी और पर्यवेक्षण करना। सोसायटी के उद्देश्यों में कृषि उपज, फल और सब्जियों की बिक्री भी शामिल है। इसके उद्देश्यों में कृषि एवं अन्य वस्तुओं का संग्रहण, उनका भंडारण, उनके गोदाम का निर्माण, समितियों के लिए खाद एवं बीज की व्यवस्था, कृषि उपकरणों एवं कृषि उपज का निर्माण एवं उनका विपणन, विपणन संघ के प्रोत्साहन धन को सरकारी बैंकों एवं अन्य ऋण समितियों में निवेश करना तथा रजिस्ट्रार की अनुमति से सहकारी बैंक, रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक से ऋण प्राप्त करना शामिल है। अतः समिति के उपरोक्त उपनियमों से पता चलता है कि विपणन संघ का गठन कृषि एवं वित्त संबंधी गतिविधियों के लिए किया गया था। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि विपणन संघ एक गैर–कृषि एवं गैर–ऋण समिति है। इन परिस्थितियों में, विपणन संघ एक कृषि एवं ऋण समिति है, याचिकाकर्ता और विपणन संघ का बोर्ड 28.10.2000 के 5 अधिसूचना के अधीन 3.1.2002 से आगे मूल अवधि की समाप्ति पर एक और वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने के हकदार नहीं थे। इसलिए, किसी भी मामले में, याचिकाकर्ता 3 जनवरी, 2002 से आगे विपणन संघ के अध्यक्ष के रूप में जारी रखने का हकदार नहीं था, और उस अवधि तक याचिकाकर्ता न्यायालय के आदेशों के अधीनविपणन संघ के अध्यक्ष के रूप में जारी रहा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. अब इस प्रश्न पर आते हैं कि क्या याचिकाकर्ता को विपणन संघ/सोसायटियों के नए चुनाव होने तक इस संबंध में पद पर बने रहने का अधिकार है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (8) (i) के प्रावधानों पर भरोसा किया, जो यह निर्धारित करता है कि सोसायटी की निवर्तमान समिति के लिए उपधारा (7–ए) के अधीन कार्यकाल की समाप्ति से पहले या उपधारा (7–एए) के अधीन विस्तारित कार्यकाल के पहले चुनाव कराना अनिवार्य है और निवर्तमान समिति रजिस्ट्रार को उचित समय के भीतर चुनाव कराने के लिए आवेदन करेगी जो किसी भी मामले में समिति के कार्यकाल की समाप्ति से नब्बे दिन से कम नहीं होगा: बशर्ते कि यदि निवर्तमान समिति ने रजिस्ट्रार से कम से कम नब्बे दिन पहले चुनाव कराने का संकल्प लिया है और अनुरोध किया है और रजिस्ट्रार उसके अनुरोध पर चुनाव कराने में विफल रहा है, तो रजिस्ट्रार समिति का प्रभार नहीं संभालेगा और समिति के सदस्य अपने पदों पर बने रहेंगे: आगे प्रावधान है। यदि रजिस्ट्रार समिति के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि से 90

दिनों के भीतर समिति के चुनाव कराने में विफल रहता है, तो सोसायटी की समिति एक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगी जो कार्यकाल की समाप्ति की तिथि से 180 दिनों के भीतर समिति के चुनाव कराएगा। अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (8) (ii) में प्रावधान है कि यदि समिति चुनाव कराने में विफल रहती है और उपधारा (7–ए) के अधीन कार्यकाल की समाप्ति पर या उपधारा (7–एए) के अधीन विस्तारित कार्यकाल की समाएएप्ति पर रजिस्ट्रार या उसकी ओर से उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी को कार्यभार नहीं सौंपती है, तो समिति के सभी सदस्यों को अपने स्थान खाली कर देने वाला माना जाएगा और रजिस्ट्रार यथाशीघ्र कार्यभार ग्रहण करेगा और चुनाव कराएगा।

19. इस संबंध में, हम याचिका पर विचार कर यह पता लगा सकते हैं कि क्या इस स्थिति में विपणन संघ के बोर्ड ने बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति से नब्बे दिन पहले अर्थात 03.01.2002 को रजिस्ट्रार से अनुरोध किया था। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है और माना गया है, विपणन बोर्ड और याचिकाकर्ता 28.10.2000 की अधिसूचना के अधीन जारी रखने के हकदार नहीं थे, जिसके अधीन गैर–कृषि और गैर–ऋण समितियों के लिए एक वर्ष की अवधि बढ़ा दी गई थी। इसलिए, इन परिस्थितियों में, विपणन संघ के निदेशक मंडल का कार्यकाल 03.01.2002 तक था और रजिस्ट्रार ने 10.01.2002 को अनुलग्नक पी–6 के अनुसार कार्यभार संभाला, अर्थात विपणन संघ के पांच साल के कार्यकाल की समाप्ति पर। याचिका में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता बोर्ड ने कार्यकाल समाप्त होने से 90 दिन पहले रजिस्ट्रार से चुनाव कराने का अनुरोध किया था। बल्कि याचिका में यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक 28.10.2000 की अधिसूचना के दृष्टिकोण में विपणन महासंघ का बोर्ड 03.01.2003 तक बने रहने का हकदार था। याचिका के पैरा 5.11 में कहा गया है कि दिनांक 28.10.2000 की अधिसूचना के दृष्टिकोण में याचिकाकर्ता के साथ–साथ सोसायटी की समिति के अन्य सदस्य 03.01.2003 तक बने रहने के हकदार हैं। यह अधिसूचना न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाई गई तथा रजिस्ट्रार ने दिनांक 11.09.2001 के आदेश के अधीननिर्देश दिया कि प्रतिवादी संख्या 3 के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाए। आगे उल्लेख किया गया है कि रजिस्ट्रार का आदेश क्षेत्राधिकार संबंधी दुर्बलता से ग्रस्त है, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया रजिस्ट्रार द्वारा शुरू नहीं की जा सकती थी, क्योंकि सोसायटी की समिति 03.01.2003 तक जारी रखने की हकदार थी। परिणामस्वरूप दिनांक 11.09.2001 के आदेश के साथ–साथ उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में आयोजित प्राथमिक सोसायटियों के चुनाव भी निरस्त किए जाने योग्य हैं। इसलिए, विपणन संघ के कार्यकाल की समाप्ति से नब्बे दिन पहले चुनाव कराने के लिए रजिस्ट्रार से मौखिक अनुरोध करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसके विपरीत, याचिकाकर्ता ने रजिस्ट्रार के आदेश दिनांक 11.09.2001 के अनुसरण में चुनाव की प्रक्रिया को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. याचिकाकर्ता ने संशोधित याचिका के पैरा 27 (एल) में उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ता और उनकी पत्नी ने अनुलग्नक पी–48 के अनुसार कार्यकाल की अवधि समाप्त होने से 90 दिन पहले रजिस्ट्रार से चुनाव कराने का अनुरोध किया था और यह भी उल्लेख किया है कि चुनाव प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। प्रतिवादी संख्या 13 द्वारा रिट याचिका क्रमांक 2230/2001 में दाखिल रिटर्न में आया है कि विपणन संघ के तत्कालीन प्रबंध निदेशक ने दिनांक 09.01.2002 को एक पत्र (अनुलग्नक आर–13–2) दाखिल किया था जिसमें उल्लेख किया गया है कि चुनाव कराने के लिए उपाध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा रजिस्ट्रार से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया था। श्री हरीश चंद्र स्टेनो द्वारा रजिस्ट्रार को दिनांक 14.01.2002 (अनुलग्नक आर–13–3) का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया कि सहकारी समितियां, रायपुर के रजिस्ट्रार कार्यालय में कभी भी चुनाव कराने के लिए दिनांक 27.09.2001 (अनुलग्नक ए–1) का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए रजिस्ट्रार के स्टेनो द्वारा शपथ–पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि चुनाव कराने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था। यदि हम दिनांक 27.09.2001 (अनुलग्नक ए–1) के उस अनुरोध को देखें तो वह निदेशक मंडल/समिति द्वारा नहीं, बल्कि केवल याचिकाकर्ता और उनकी पत्नी द्वारा किया गया था। याचिका के मुख्य भाग में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि अवधि समाप्त होने से नब्बे दिन पहले याचिकाकर्ता द्वारा कोई अनुरोध किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. इसलिए, इस याचिका में याचिकाकर्ता यह स्थापित करने में विफल रहा है कि निदेशक मंडल ने 03.01.2002 से नब्बे दिन पहले चुनाव कराने के लिए कोई अनुरोध किया था। इस याचिका के साथ–साथ रिट याचिका क्रमांक 2230/2001 की दलीलों से यह भी स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने कई अवसरों पर बोर्ड की बैठक बुलाई, लेकिन कोरम कभी पूरा नहीं हुआ और ऐसी सभी बैठकों में 14 निदेशकों में से केवल दो या तीन निदेशक ही उपस्थित थे और अध्यक्ष के रूप में याचिकाकर्ता अन्य निदेशकों के असहयोग के कारण बोर्ड के व्यवसाय का संचालन करने में सक्षम नहीं था। इसलिए, सोसायटी के चुनाव कराने के लिए बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रार से अनुरोध करने का कोई सवाल ही नहीं था।

22. यहां तक कि प्राथमिक सोसायटी, जहां से याचिकाकर्ता प्रतिनिधि बना था, का भी 27.02.2002 के आदेश के अधीन पहले ही पंजीकरण निरस्त किया जा चुका है और छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 45 के आधार पर , यदि सोसायटी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो उसका प्रतिनिधि या प्रतिनिधि भी केंद्रीय या शीर्ष सोसायटी में सोसायटी का प्रतिनिधित्व करना बंद कर देता है। इसलिए सोसायटी के पंजीकरण निरस्त किए जाने के दृष्टिकोण में याचिकाकर्ता अब सोसायटी का प्रतिनिधि नहीं रह गया है और वह इस आधार पर भी अध्यक्ष के रूप में बने रहने का हकदार नहीं है। अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वारा पारित 27.02.2002 के पंजीकरण निरस्त करने के आदेश को रिट कार्यवाही में चुनौती नहीं दी गई है।

23. राज्य/उत्तरदाता के विद्वान अपर महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के पास भोपाल स्थित राज्य सहकारी न्यायाधिकरण के समक्ष याचिका दायर करने के लिए आनुकल्पिक उपचार उपलब्ध था और वास्तव में याचिकाकर्ता की पत्नी, जो निदेशकों में से एक थी, ने न्यायाधिकरण के समक्ष याचिका दायर की थी और यह लंबित थी। लेकिन बहस के दौरान यह प्रस्तुत किया गया कि अब न्यायाधिकरण समाप्त हो गया है। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, **हरबंसलाल साहनिया और** अन्य **बनाम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और अन्य** के मामले में **(2003) 2 एस.सी.सी. 107** में रिपोर्ट किया गया है, यह माना जाता है कि "आनुकल्पिक उपचार की उपलब्धता द्वारा रिट क्षेत्राधिकार के बहिष्कार का नियम विवेक का नियम है न कि बाध्यता का"। यह स्थापित कानून है कि आनुकल्पिक उपचार विवेक का नियम है न कि कानून का नियम। जहां कानून का प्रश्न शामिल है, वहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीनरिट पर विचार किया जा सकता है और उच्च न्यायालय वैकल्पिक उपाय लागू करने के लिए बाध्य नही है। इस मामले में। कानून का शुद्ध प्रश्न और कच्चे माल की व्याख्या का आरोप लगाया गया है और कोई तथ्यात्मक पहलू नहीं लगाया गया है, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति बलहीन है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. इसलिए, ऊपर जो चर्चा की गई है, उसके दृष्टिकोण में याचिकाकर्ता की याचिका बलहीन है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए। तदनुसार, रिट याचिका निरस्त की जाती है।

25. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, व्यय के संबंध के कोई आदेश नही दिया गया है।

सही/– **सही/–**

(मुख्य न्यायाधीश) (मुख्य न्यायाधीश)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translate by Ankita Awashti